



भारतीय रिज़र्व बैंक

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग

क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

Reserve Bank of India

Rural Planning & Credit Department
Regional Office, Patna

लाइसेंस सं.ग्राआऋवि.जि.के.स.ब./पैट-17/2011-12
दिनांक : मार्च 30, 2012

LICENSE NO. RPCD.DCCB/Pat-17/ 2011-12
Dated : March 30, 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56(ओ) के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 22 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **दि राष्ट्रीय केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बेटिया** को एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंकिंग कारोबार प्रारंभ करने और उसे चालू रखने का लाइसेंस प्रदान किया जाता है :


In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 22(1) read with Section 56(O) of the Banking Regulation Act, 1949 **The National Central Co-operative Bank Ltd., Bettiah** is hereby granted a licence to commence and carry on banking business, subject to the following conditions:


(क) बैंक के परिचालन का क्षेत्र केवल संबंधित **बिहार राज्य के पश्चिम चम्पारण जिला** तक ही सीमित होगा।

(a) The area of operation of the bank shall be confined only to the **West Champaran district of Bihar State** concerned.

(ख) बैंक अपने पंजीकृत कार्यालय में लाइसेंस अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अपना कारोबार शुरू करने के दिन / लाइसेंस प्राप्त होने के बाद की तारीख से प्रदर्शित करेगा।

(b) This licence or a certified copy thereof shall be displayed at the registered office of the bank from the day on which it commences business/ date following the receipt thereof.


महाप्रबंधक


General Manager